

## बगि-टेक का वनियमन: भारत और वशिव

यह एडिटरियल 29/03/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Taking on Big-Tech”](#) लेख पर आधारित है। इसमें 'बगि टेक' वरिद्ध अवशिवस प्रवर्तन के लिये अमेरिकी दृष्टिकोण में लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव पर चर्चा की गई है जो एक ऐसा कदम जो कुछ समय के लिये यूरोपीय संघ (EU) द्वारा की गई कार्रवाइयों को प्रतबिबिति करता है। यह बदलाव भारत सहित वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि यह इन कंपनियों को उनके गृह देश द्वारा अब तक प्रदान की गई सुरक्षा कवच को हटाने का संकेत देता है।

### प्रलिमिस के लिये:

[भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग \(CCI\)](#), [बगि टेक](#), [फनितेक](#), [प्रतसिपरद्धा अधनियम, 2002](#), [सटार्ट-अप](#), [सूक्ष्म](#), [लघु और मध्यम उद्यम](#), [यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधनियम](#), [ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स \(ONDC\)](#), [उपभोक्ता संरक्षण \(ई-कॉमर्स\) नियम 2020](#)।

### मेन्स के लिये:

भारत के डिजिटल स्पेस को बदलने में बगि टेक की भूमिका, बगि टेक को वनियमति करने के लिये भारत का वर्तमान दृष्टिकोण, भारत में बगि टेक फर्मों से जुड़ी चुनौतियाँ, [प्रतसिपरद्धा संशोधन वधियक, 2022](#)।

गूगल (Google) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी दगिगज कंपनी और वभिन्न भारतीय कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व हुई जब ऐप डेवलपरस ने [भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग \(Competition Commission of India- CCI\)](#) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि गूगल एंड्रॉइड और प्ले स्टोर पारतिंत्र में अपनी प्रभुत्वशाली स्थितिका दुरुपयोग कर रहा है। विशेष रूप से, गूगल सर्च इंजन पर आरोप लगाया गया कि यह ऐप डेवलपरस पर गूगल के प्रोप्राइटरी बलिंग सिस्टम का उपयोग करने, अन्यथा किसी अन्य प्रतसिपरद्धी की सेवा को चुनने के लिये एक शुल्क का भुगतान करने का दबाव बना रहा है।

स्थिति लगातार बगिड़ती जा रही है, जहाँ CCI ने अपने महानदिशक को मामले की जाँच करने और 60 दिनों के भीतर एक रपिर्ट सौंपने का नरिदेश दिया है। संभव है कि निष्कर्ष में, जैसा कि CCI द्वारा अनुमान लगाया है, गूगल की कार्रवाइयों को प्रतसिपरद्धा अधनियम, 2002 का उल्लंघन माना जाएगा।

### बगि-टेक फर्मों से संबंधित वभिन्न पहलू:

- परचिय

# BIG TECH'S INDIA PRESENCE

## Amazon

**JUNE 2016**

India's first AWS region, sixth in Asia, launched in Mumbai

**NOVEMBER 2022**

Country's second AWS region launched in Hyderabad

## Alphabet

**NOVEMBER 2017**

Google Cloud's first India cloud centre opened in Mumbai

**JULY 2021**

Second data centre cluster opened in the National Capital Region of Delhi

## Microsoft

**SEPTEMBER 2015**

Three data centres opened in India in Mumbai, Pune and Chennai

**2025:** Fourth centre, its largest, to be operational in Hyderabad

(Facebook has a data region in Singapore, but none in India)



- बगि टेक (Big Tech) शब्द वैश्विकी स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों को संदर्भित करता है। ये कंपनियाँ अपने विशाल बाजार पूंजीकरण, नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं और व्यापक उपयोगकर्ता आधार के कारण वभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण शक्ति एवं प्रभाव रखती हैं।
- इसके कुछ प्रमुख उदाहरण Google, Facebook, Amazon, Apple आदि हैं।
- **बाज़ार पर प्रभुत्व और प्रभाव:**
  - बगि टेक कंपनियाँ आमतौर पर अपने संबंधित बाजारों पर हावी होती हैं, जहाँ प्रायः एकाधिकारवादी या अलपाधिकारवादी स्थिति (monopolistic or oligopolistic positions) रखती हैं। वे उद्योग के रुझान, उपभोक्ता व्यवहार और यहाँ तक कि सार्वजनिक नीति पर भी व्यापक प्रभाव डालती हैं।
    - अमेज़न (Amazon): यह अपने Amazon.com प्लेटफॉर्म और अमेज़न वेब सर्वसिज़ (AWS) के साथ ई-कॉमर्स एवं क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्रभुत्व रखता है।
    - गूगल (Google - Alphabet): यह अपने सर्च इंजन और यूट्यूब (YouTube) एवं गूगल एड्स (Google Ads) जैसी सहायक कंपनियों के माध्यम से अधिकांश ऑनलाइन सर्च ट्रैफिक और डिजिटल वजिज़ापन राजस्व को नियंत्रित करता है।
    - फ़ेसबुक (Facebook - Meta): यह फ़ेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सएप (WhatsApp) जैसे अपने प्लेटफॉर्मों के साथ सोशल मीडिया क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जहाँ ऑनलाइन संचार और कंटेंट उपभोग को आकार देता है।
- **प्रौद्योगिकीय नवाचार:**
  - बगि टेक कंपनियाँ अपने नरितर नवाचार के लिये जानी जाती हैं, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मनोरंजन जैसे वभिन्न क्षेत्रों में उन्नतता का नेतृत्व कर रही हैं।
    - **एप्पल (Apple):** यह iPhone, iPad और MacBook जैसे अपने अग्रणी उत्पादों के साथ-साथ Apple Music और iCloud जैसी सेवाओं के लिये प्रसिद्ध है।
    - **माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft):** यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows operating system), ऑफिस सूट (Office suite), एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल (Xbox gaming consoles) और एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म (Azure cloud platform) जैसे उत्पादों के साथ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं क्लाउड सेवाओं में नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।
    - **टेस्ला (Tesla):** यह इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक के साथ ऑटोमोटिव उद्योग को आमूल-चूल रूप से रूपांतरित कर रहा है।
- **डेटा संग्रहण और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:**
  - बड़ी टेक कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्मों और सेवाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करती हैं, जिससे गोपनीयता, नगरिनी और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
    - **गूगल:** यह सर्च क्वेरी, ईमेल संचार, लोकेशन ट्रैकिंग और ब्राउज़िंग हिस्ट्री के माध्यम से उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करता है तथा लक्षित वजिज़ापन एवं वैयक्तिकृत सेवाओं को बढ़ावा देता है।
    - **फ़ेसबुक:** इसके डेटा संग्रह अभ्यासों के लिये इसकी संवीक्षा की जा रही है। इसमें कैंबरिजि एनालिटिका स्कैंडल (Cambridge Analytica scandal) भी शामिल है जहाँ राजनीतिक प्रोफ़ाइलिंग के लिये लाखों फ़ेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा का अनधिकृत उपयोग किया गया था।
    - **अमेज़न:** यह उत्पाद अनुशंसाओं, मूल्य नरिधारण रणनीतियों और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिये ग्राहकों की खरीदारी की आदतों एवं प्राथमिकताओं का विश्लेषण करता है।
- **वनियामक संवीक्षा और एंटी-ट्रस्ट (Anti-trust) संबंधी चिंताएँ:**
  - बड़ी टेक कंपनियों को प्रायः अपने बाज़ार प्रभुत्व, कथित प्रतस्पर्द्धा-वरीधी व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के संभावित उल्लंघन के कारण नियामक संवीक्षा एवं एंटी-ट्रस्ट जाँच का सामना करना पड़ता है।
    - **गूगल:** कथित एकाधिकारवादी अभ्यासों, अनुचित प्रतस्पर्द्धा और इसके सर्च इंजन, वजिज़ापन व्यवसाय एवं एंड्रॉइड पारितंत्र से संबंधित एंटी-ट्रस्ट उल्लंघनों के लिये दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों और नियामक नकियाँ द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।
    - **फ़ेसबुक:** इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे संभावित प्रतस्पर्द्धा के अधिग्रहण के साथ ही डिजिटल वजिज़ापन एवं सोशल नेटवर्किंग बाज़ारों पर इसके नियंत्रण के बारे में मौजूद चिंताओं को लेकर इसे एंटी-ट्रस्ट मुकदमों और नियामक जाँच का सामना करना पड़ रहा है।
    - **अमेज़न:** इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ व्यवहार, आक्रामक मूल्य नरिधारण (predatory pricing) के आरोपों और खुदरा विक्रेता एवं बाज़ार ऑपरेटर दोनों के रूप में हतियों के संभावित टकराव के संबंध में इसकी एंटी-ट्रस्ट समीक्षा की जा रही है।

## नोट

### एंटी-ट्रस्ट (Antitrust):

- एंटी-ट्रस्ट कानून ऐसे वनियम हैं जिनका उद्देश्य एकाधिकारवादी अभ्यासों, मूल्य नरिधारण और अन्य गतविधियों (जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं या प्रतस्पर्द्धा को दबा सकते हैं) को नियंत्रित कर बाज़ार में नष्पिकष प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है।
  - एंटी-ट्रस्ट कानूनों, जिन्हें प्रतस्पर्द्धा कानूनों (competition laws) के रूप में भी जाना जाता है, का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तक पहुँच प्राप्त हो।
- एंटी-ट्रस्ट कानूनों का उद्देश्य कंपनियों को एकाधिकार शक्ति प्राप्त करने से रोकना है, जो तब उत्पन्न होता है जब कोई एकल कंपनी या समूह बाज़ार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। ऐसे एकाधिकार से उच्च कीमत, नमिन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और नवाचार की कमी की स्थिति बिन सकती है।

## ‘बगि टेक’ को वनियमति करने के लयि हाल ही में कौन-से कदम उठाये गए हैं?

### ■ अमेरिका का फेडरल ट्रेड कमीशन (FDC):

- FDC के अध्यक्ष की नयुक्तिके साथ यह परवर्तन आया है। अमेरिकी न्याय वभिग और 16 राज्यों ने एप्पल (Apple) पर स्मार्टफोन बाज़ार पर एकाधिकार करने और इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कयिा है।
  - एप्पल के वरिद्ध मुकदमा बाज़ार की शक्ति का दुरुपयोग करने के लयि गूगल, फ़ेसबुक और अमेज़ॉन के वरिद्ध मुकदमों की लंबी होती सूची का अनुसरण करता है। परतदिवंदवी उत्पादों की कार्यक्षमता को अवरुद्ध करने, दबाने, अपवर्जति करने, कम करने और तीसरे पक्ष के वॉलेट को सीमति करने के रूप में इनकी कार्यप्रणाली एक जैसी है।

### ■ यूरोपीय संघ (EU) की पहलें:

- **डजिटल मार्केट एक्ट (DMA), 2022** के प्रावधानों के अनुरूप ‘डजिटल क्षेत्र में परतसिपरद्धी एवं नषिपक्ष बाज़ार’ सुनशिचति करने के उपायों की एक शृंखला के तहत यूरोपीय आयोग ने मार्च 2024 में तथाकथति **बगि टेक** (एप्पल, मेटा और अलफ़ाबेट) के वरिद्ध ‘गैर-अनुपालन अन्वेषण’ की शुरुआत की है। यह अमेज़ॉन के मार्केटप्लेस में उसके रैंकिग अभ्यासों की भी जाँच करेगा।

### ■ भारत का रुख:

- **परतसिपरद्धा अधनियम, 2002:** भारत में एंटी-ट्रस्ट के मुद्दे **परतसिपरद्धा अधनियम, 2002** द्वारा शासति होते हैं और CCI एकाधिकारवादी अभ्यासों पर नयित्रण रखता है।
  - CCI ने वर्ष 2022 में ‘परतसिपरद्धा-वरिधी अभ्यासों’ के लयि वभिनि बाज़ारों में अपनी प्रमुख स्थति का दुरुपयोग करने के लयि गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का अर्थदंड आरोपति कयिा।
- **परतसिपरद्धा संशोधन वधियक, 2022:** सरकार ने **परतसिपरद्धा संशोधन वधियक, 2022** के माध्यम से परतसिपरद्धा अधनियम में संशोधन का प्रस्ताव कयिा। वधियक को अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
  - CCI कसिी उद्यम के भारत में पर्याप्त व्यवसाय संचालन का आकलन करने के लयि आवश्यकताओं को नरिधारति करने वाले वनियम बनाएगा।
  - यह आयोग के समीक्षा तंत्र को, वशिष रूप से डजिटल एवं अवसंरचना क्षेत्र में, सुदृढ़ बनाएगा, जनिमें से अधकिांश की रपिर्टगि पूरव में नहीं की गई थी, क्योक सिंपत्तया ट्रनओवर मूल्य क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं को पूरा नहीं करते थे।

## बगि टेक के कार्यकरण से संबद्ध वभिनि चतिाएँ:

### ■ घरेलू सेवाओं को प्राथमकिता देना:


- गैर-अनुपालन जाँच अलफ़ाबेट द्वारा अपने ग्राहकों को अपने परतसिपरद्धियों की तुलना में स्वयं के इन-हाउस सेवाओं की ओर ले जाने या नरिदेशति करने वाले कथति नयिमों के उपयोग पर केंद्रति है। एप्पल की उसके ऐप स्टोर में कथति तौर पर इसी तरह के अभ्यासों के साथ-साथ उसके द्वारा सफारी ब्राउज़र की तैनाती के तरीकों के लयि जाँच की जाएगी। इसी तरह, मेटा की उसके ‘भुगतान या सहमति मॉडल’ के लयि जाँच की जाएगी।

### ■ EU के डजिटल मार्केट एक्ट, 2022 (DMA) का गैर-अनुपालन:

- अलफ़ाबेट, अमेज़ॉन, एप्पल, बाइटडांस (टकिटॉक की पैरेंट कंपनी) और माइक्रोसॉफ्ट को सतिंबर 2023 में ‘गेटकीपर’ के रूप में नरिदषि्ट कयिा गया था। उनसे उम्मीद की गई कविे 7 मार्च, 2024 तक DMA के तहत सभी दायतिवों का पूरी तरह से पालन करना शुरू कर देंगे।
- यूरोपीय आयोग ने DMA प्रावधानों के गैर-अनुपालन की जाँच शुरू करने से पहले इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अनविर्य अनुपालन रपिर्ट का आकलन कयिा और हतिधारकों से परतकिरयिा (कार्यशालाओं के संदर्भ में भी) एकत्र की।

### ■ बगि टेक द्वारा अपनाया गया भेदभावपूरण दृषटकिेण:

- यूरोपीय आयोग का लक्ष्य यह आकलन करना है ककयिा गूगल के सर्च परणिगाम पूरवाग्रह रखते हैं, वशिष रूप से यदकिंपनी परतसिपरद्धियों की सेवाओं पर अपनी स्वयं की सेवाओं को प्राथमकिता देती हो।
  - इसने आशंका जताई कडि DMA के अनुपालन के अलफ़ाबेट के प्रयास गूगल की अपनी सेवाओं की तुलना में गूगल के सर्च रजि्ल्ट पृषट पर थरड पार्टी सेवाओं के परतनिषिपक्ष व्यवहार की गारंटी नहीं भी दे सकते हैं।
  - इसके अलावा, CCI ने भी मार्च 2024 में गूगल द्वारा इसकी प्ले स्टोर मूल्य नरिधारण नीतिपर कथति भेदभावपूरण अभ्यासों के लयि प्रथम दृषटया परतसिपरद्धा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उसके वरिद्ध वसितृत जाँच का आदेश दयिा।



#### ■ ग्राहकों के लिये वकिलप कम करना:

- अक्टूबर 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने गूगल पर "सर्च और सर्च वजिजापन बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा-वरोधी एवं अपवर्जनकारी अभ्यासों के माध्यम से गैर-कानूनी रूप से एकाधिकार बनाए रखने" का आरोप लगाया और इससे "प्रतस्पर्द्धा हानि का समाधान" करने की मांग की।
- DoJ के अनुसार, इस आचरण ने उपभोक्ताओं को उनके सर्च की गुणवत्ता को कम करने, वकिलपों को कम करने और नवाचार में बाधा डालने के रूप में नुकसान पहुँचाया है। अमेज़ॉन को भी अपने मार्केटप्लेस में लसिटिंग को इसी तरह व्यवस्थित करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

#### ■ पारतंत्र बंधन (Ecosystem Captivity) के बारे में चर्चाएँ:

- यूरोपीय आयोग यह आकलन करना चाह रहा है कि क्या एपपल उपयोगकर्ताओं को iOS पर किसी भी प्री-इंस्टॉल (या वर्तमान में डिफॉल्ट) सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आसानी से अन-इंस्टॉल करने या डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलने में सक्षम बनाता है और क्या उन्हें पसंद का स्क्रीन या इंटरफेस प्रदान करता है जो उन्हें डिफॉल्ट सेवाओं के बदले प्रभावी ढंग से एवं आसानी से वकिलप चुनने की अनुमति देता हो।
- जाँच की आवश्यकता आयोग की इस चर्चा से उत्पन्न हुई है कि संभव है कि एपपल द्वारा किये गए उपाय उपयोगकर्ताओं को "एपपल पारतंत्र के साथ वास्तव में अपनी पसंद की सेवाओं का उपयोग करने" से बाधित कर रहे हैं जो वास्तव में "पारतंत्र बंधन या पारतंत्र की क़ैद" से संबद्ध चर्चा के समान है।

#### ■ मेटा की 'बाइनरी-चॉइस' से संबद्ध चर्चाएँ:

- मेटा ने एक सबस्क्रिप्शन मॉडल प्रस्तुत किया है जो EU, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) और स्वटिज़रलैंड के लोगों को बना किसी वजिजापन के फेसबुक एवं इंस्टाग्राम का उपयोग करने का वकिलप प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से, वे अपने लिये प्रासंगिक वजिजापन देखते हुए (दूसरे शब्दों में वैयक्तिकृत वजिजापन के लिये सहमति के साथ) इन सेवाओं का निःशुल्क उपयोग जारी रख सकते हैं।
- यह मॉडल नियामकों को पर्याप्त आश्वस्तिकारी नहीं लगा। माना गया कि मॉडल की 'बाइनरी चॉइस' की पेशकश उपयोगकर्ताओं की सहमति नहीं होने की स्थिति में वास्तविक वकिलप नहीं भी प्रदान कर सकती है; इस प्रकार, 'गेटकीपर्स' द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संचय को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

#### ■ नियामक नरिवात:

- बगि टेक कंपनियों द्वारा द्रुत गति से नवाचार और उन्नत आगे बढ़ाने के कारण, नियामक केवल प्रतिक्रिया दे सकने में ही सक्षम हैं, पूर्व-तैयारी कर सकने में नहीं। इन दगिगज प्लेटफॉर्मों का कहना है कि वे केवल मध्यस्थ हैं और इसलिये, उन्हें कंटेंट के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

#### ■ मनमाना मूल्य नरिधारण:

- गैर-डिजिटल क्षेत्र में मूल्य नरिधारण बाज़ार शक्तियों के माध्यम से होता है। लेकिन डिजिटल क्षेत्र में नयिम बड़े पैमाने पर बड़े प्लेटफॉर्मों द्वारा तय किये जाते हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर उपभोक्ता स्वयं उत्पाद भी हैं। बगि टेक फर्मों द्वारा गेटकीपिंग के साथ ही नेटवर्क इफ़ेक्ट और 'वनिरस-टेक-इट-ऑल' जैसी अवधारणाएँ समस्या को और बढ़ा देती हैं।

# बगि टेक को वनियमिति करने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

वर्तित संबंधी स्थायी समिति ने दिसंबर, 2022 में 'बगि टेक कंपनियों द्वारा प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख टपिणियों और सफ़िरशियों में शामिल हैं:

## ■ डजिटिल बाज़ारों का वनियमन:

- डजिटिल बाज़ार लाखों उपयोगकर्ताओं वाली इंटरनेट-आधारित कंपनियों से निर्मित है। भौतिक बाज़ारों के विपरीत, डजिटिल बाज़ारों में प्रायः कंपनी के आकार के साथ रटिरन बढ़ता हुआ देखा जाता है, जो लर्नगि और नेटवर्क प्रभावों से प्रेरित होता है।
- इससे कुछ प्रमुख खलाड़ी नीतियों और एंटी-ट्रस्ट उपायों के लागू होने से पहले ही तेज़ी से उभर सकते हैं। समिति ने वस्तुस्थिति के बाद मूल्यांकन करने के मौजूदा अभ्यास के बजाय बाज़ारों पर एकाधिकार कायम होने से पहले ही प्रतस्पर्द्धा व्यवहार का मूल्यांकन कर लेने का सुझाव दिया।

## ■ डजिटिल गेटकीपरस:

- समिति ने सुझाव दिया कि भारत को डजिटिल बाज़ारों में उन प्रमुख खलाड़ियों की पहचान करनी चाहिये जो प्रतस्पर्द्धा को नुकसान पहुँचा सकते हैं और उन्हें राजस्व, बाज़ार पूंजीकरण एवं उपयोगकर्ता आधार जैसे कारकों के आधार पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डजिटिल मध्यस्थों (Important Digital Intermediaries- SIDIs) के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये। SIDIs के लिये फरि नरिदषिट कथिा जाना चाहिये कि वे अनविर्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने प्रयासों की रूपरेखा बताते हुए भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कथिा करें।

## ■ डजिटिल प्रतस्पर्द्धा अधनियमि:

- समिति ने माना कि भारत को डजिटिल बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अपने प्रतस्पर्द्धा कानून को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इस बाज़ार के आर्थिक चालक कुछ खलाड़ियों को पारतित्तर पर हावी होने में मदद करते हैं।
- समिति ने सफ़िरशि की कि सरकार को एक नषिपकष, पारदर्शी एवं प्रतस्पर्द्धा डजिटिल पारतित्तर सुनशिचति करने के लिये एक डजिटिल प्रतस्पर्द्धा अधनियमि पेश करना चाहिये।

## ■ स्व-प्राथमकित (Self-Preferencing):

- कसिी इकाई के पास मंच प्रदान करने और उसी मंच पर प्रतस्पर्द्धा करने की दोहरी भूमकि हो सकती है। स्व-प्राथमकित ऐसा अभ्यास है जहाँ कोई मंच अपनी स्वयं की सेवाओं या अपनी सहायक कंपनियों की सेवाओं का पकषधर होता है।
- समिति ने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता की कमी से डाउनस्ट्रीम बाज़ारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसने सफ़िरशि की कि SIDIs को पहुँच में मध्यस्थता करते समय अपने प्रतस्पर्द्धाओं की तुलना में स्वयं द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पकषधर नहीं होना चाहिये।

## ■ डेटा उपयोग:

- समिति ने पाया कि वृहत उपयोगकर्ता डेटा तक पहुँच रखने वाले प्रमुख बाज़ार खलाड़ी और बड़े होते जा रहे हैं, जबकि नए प्रतस्पर्द्धा पकड़ हासल करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसे संबोधित करने के लिये यह अनुशंसा की गई कि SIDIs को उन अंतमि उपयोगकर्ताओं के व्यक्तगित डेटा को संसाधित नहीं करना चाहिये जो SIDIs की मुख्य सेवाओं पर नरिभर थर्ड पार्टी सेवाओं का उपयोग करते हैं।
- इसके अतरिकित, उन्हें अपनी मुख्य सेवाओं के व्यक्तगित डेटा को अन्य मुख्य सेवाओं के डेटा के साथ वलिय नहीं करना चाहिये, न ही उन्हें स्पष्ट उपयोगकर्ता सहमतिके बिना अपनी मुख्य सेवाओं के व्यक्तगित डेटा का उपयोग अन्य अलग से प्रदान की गई सेवाओं में करना चाहिये। उपयोगकर्ताओं को अन्य प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं में स्वचालित रूप से साइन-इन नहीं कथिा जाना चाहिये जब तक कि उन्होंने ऐसा करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमति न दी हो।

## ■ CCI का पुनरुदधार:

- CCI भारत में बाज़ार प्रतस्पर्द्धा को नयित्तर कथिा है। समिति की राय है कि डजिटिल बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा-वरीधी समस्या से नपिटने के लिये CCI को सशक्त कथिा जाना चाहिये। इसने CCI में एक वरिष डजिटिल बाज़ार इकाई के नरिमाण का सुझाव दिया।
  - यह इकाई: (i) स्थापति और उभरते SIDIs की नगिरानी करेगी, (ii) SIDIs को नरिदषिट करने के मामले में केंद्र सरकार को सफ़िरशियाँ देगी, और (iii) डजिटिल बाज़ारों से संबंधित मामलों पर न्याय-नरिणयन करेगी।

## ■ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन (Third-Party Applications):

- समिति ने पाया कि गेटकीपर इकाइयाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की इंस्टॉलगि या संचालन को प्रतबिंधित करती हैं। उसने माना कि SIDIs को थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन की इंस्टॉलगि और उपयोग की अनुमति देनी चाहिये और इसे प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम करना चाहिये।
  - ऐसे सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन स्टोर प्लेटफ़ॉर्म की प्रासंगिक मुख्य सेवाओं के अलावा अन्य माध्यमों से अभगिम्य होने चाहिये। हालाँकि, SIDIs से कसिी वरिधी प्रतदिवंद्वी की सरकार को डेटा हस्तांतरित नहीं कथिा जाना चाहिये।

## ■ बंडलगि और टाइंग (Bundling and Tying):

- कई डजिटिल कंपनियाँ उपभोक्ताओं को संबधित सेवाएँ खरीदने के लिये बाध्य करती हैं। समिति ने कहा कि इससे मूल्य नरिधारण में वषिमता पैदा होती है और बाज़ार से प्रतस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है।
- यह अग्रणी खलाड़ियों को एक मुख्य मंच से दूसरे मंच पर अपनी बाज़ार शक्ति का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है। यह राय दी गई कि SIDIs द्वारा व्यवसायों या अंतमि उपयोगकर्ताओं को अपनी मुख्य प्लेटफ़ॉर्म सेवा का उपयोग करने में सक्षम होने के लिये कसिी भी अन्य सेवा की सदस्यता लेने के लिये वरिष नहीं कथिा जाना चाहिये।

## ■ एंटी-स्टीयरगि (Anti-Steering):

- एंटी-स्टीयरगि प्रावधान ऐसे खंड हैं जनिमें कोई प्लेटफ़ॉर्म अपने व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को अपने ग्राहकों को प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान कथिा गए ऑफर के अलावा अन्य ऑफर की ओर ले जाने से रोकता है।
- समिति ने सफ़िरशि की कि SIDIs को अपने प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच के लिये ऐसे अन्य उत्पादों या सेवाओं की खरीद/उपयोग की शर्त नहीं रखनी चाहिये जो उस प्लेटफ़ॉर्म का अंग नहीं हैं या उसके लिये अंतरभूत नहीं हैं।

## नषिकरष:

यूरोपीय आयोग और CCI ने नषिपक्ष एवं प्रतस्पर्द्धी डजिटल बाज़ारों की सुनश्चितता के लयि कई महत्त्वपूरण कदम उठाये हैं और पपल, मेटा, अल्फाबेट और अमेज़ॅन जैसी तकनीकी दगिगज कंपनयिों के वरिद्ध गैर-अनुपालन जाँच शुरू की है। ये जाँच कथति प्रतस्पर्द्धा-वरिधी अभ्यासों पर केंद्रति है, जसिमें उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं के उपयोग, रैंकगि अभ्यासों और सदस्यता मॉडल की ओर ले जाना शामिल है। ये जाँच 'गेटकीपर्स' को वनियिमति करने और नषिपक्ष प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के डजिटल बाज़ार अधनियिम के उद्देश्य से संरेखति है। हालाँकि, एप्ल जैसी कंपनयिों ने DMA के प्रावधानों के वरिद्ध तरक दया है और कहा है क संभव है क वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लयि व्यापक लाभों के अनुकूल नहीं सदिध हों।

**अभ्यास प्रश्न:** एंटी-ट्रस्ट कानून नषिपक्ष बाज़ार प्रतस्पर्द्धा एवं नवाचार की सुनश्चितता के लयि बड़ी तकनीकी कंपनयिों की एकाधिकारवादी प्रथाओं को कसि प्रकार संबोधति करते हैं? व्याख्या कीजयि।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न:** भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/वशिषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लयि नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता कसि उपभोक्ता फोरम में शकियत दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शकियत दर्ज करा सकता है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर:** c

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/regulating-bnig-techs-india-s-abroad>